

श्री ५ को सरकार  
जलस्रोत मन्त्रालयको  
सूचना १

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कास्की जिल्ला अर्न्तगतका देहायका स्थानहरूमा १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाईनको निर्माण तथा संचालन गर्ने सम्बन्धमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ६६ को उप नियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रसारण लाईन मुनि पर्ने तपसिलमा उल्लिखित जग्गाहरूमा प्रसारण लाईनको मध्य रेखाबाट दायो बायो १।९ (नौ। नौ) मिटर भित्र अरु कसैले कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न तथा रुख रोप्ने कार्य गर्न नपाउने गरी निषेध गरेकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएकोछ ।

क्षेत्र:- कास्की जिल्ला

| ठेगाना                    |         | किता नं. | कैफियत                              |
|---------------------------|---------|----------|-------------------------------------|
| गा.वि.स । नगरपालिका       | वडा नं. |          |                                     |
| साविक छिने डांडा गा.वि.स  | १       | १०१४     | टावर नं. १०३ देखि टावर नं. १०४ सम्म |
| " " "                     | १       | १०२      |                                     |
| " " "                     | ३       | ११       |                                     |
| " " "                     | ३       | ८५       |                                     |
| " " "                     | ३       | १६       |                                     |
| " " "                     | ३       | ९०६      |                                     |
| " " "                     | ३       | ७९३      |                                     |
| " " "                     | ३       | ८९३      |                                     |
| " " "                     | ३       | २१       |                                     |
| " " "                     | ३       | २२       |                                     |
| " " "                     | ३       | २३       |                                     |
| " " "                     | ३       | १४९६     |                                     |
| " " "                     | ३       | ३४       |                                     |
| " " "                     | ३       | १३७४     |                                     |
| " " "                     | ३       | २९       | टावर नं. १०४ देखि टावर नं. १०५ सम्म |
| " " "                     | ५       | ३५       |                                     |
| " " "                     | ५       | ३६       |                                     |
| " " "                     | ५       | ३८       |                                     |
| " " "                     | ५       | ४०       |                                     |
| " " "                     | ५       | ४१       |                                     |
| " " "                     | ५       | ४२       |                                     |
| " " "                     | ५       | ४४       |                                     |
| " " "                     | ५       | ४६       |                                     |
| " " "                     | ५       | ४७       |                                     |
| " " "                     | ५       | ४९       |                                     |
| " " "                     | ५       | ५०       |                                     |
| " " "                     | ५       | ५१       |                                     |
| " " "                     | ५       | ८१       |                                     |
| " " "                     | ५       | ८२       |                                     |
| " " "                     | ५       | ११९२     |                                     |
| " " "                     | ५       | ११९३     |                                     |
| साविक छिने डांडा गा.वि.स. | ५       | १४८३     |                                     |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएकोछ, मात्र लागु हुनेछ।

खण्ड ५० संख्या १२ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५७३१९

|                           |    |      |                                     |
|---------------------------|----|------|-------------------------------------|
| " " "                     | ५  | ८५०  |                                     |
| " " "                     | ५  | ८५१  |                                     |
| साविक छिने डांडा गा.वि.स. | ३  | ५३   | टावर नं. १०५ देखि टावर नं. १०६ सम्म |
| " " "                     | ३  | ५४   |                                     |
| " " "                     | ३  | ५५   |                                     |
| " " "                     | ३  | ५६   |                                     |
| " " "                     | ३  | ५८   |                                     |
| " " "                     | ३  | ५९   |                                     |
| " " "                     | ३  | ६०   |                                     |
| " " "                     | ३  | ६१   |                                     |
| " " "                     | ३  | ८५०  |                                     |
| साविक पोखरा न.पा.         | १० | ५४३२ | टावर नं. १०६ देखि टावर नं. १०७ सम्म |
| " " "                     | १० | ६६९  |                                     |
| " " "                     | १० | ५७३५ |                                     |
| " " "                     | १० | ६६२  |                                     |
| " " "                     | १० | ६६३  |                                     |
| " " "                     | १० | ६६५  |                                     |
| " " "                     | १० | ६६६  |                                     |
| " " "                     | १० | ४४३८ |                                     |
| " " "                     | १० | ४४३९ |                                     |
| " " "                     | १० | ४४४० |                                     |
| साविक पोखरा न.पा.         | १० | ४४३६ |                                     |
| " " "                     | १० | ४४३७ |                                     |
| " " "                     | १० | ५९०  |                                     |
| " " "                     | १० | २६४९ |                                     |
| " " "                     | १० | २६५० |                                     |
| " " "                     | १० | १७१४ |                                     |
| " " "                     | १० | १७१५ |                                     |
| " " "                     | १० | ९५३  |                                     |
| " " "                     | १० | ५८८  |                                     |
| " " "                     | १० | ५८५  |                                     |
| " " "                     | १० | ५८६  |                                     |
| " " "                     | १० | ५८७  |                                     |
| " " "                     | १० | ५७६  |                                     |
| " " "                     | १० | ५९२  |                                     |
| " " "                     | १० | ५८२  |                                     |
| " " "                     | १० | १७८० |                                     |
| " " "                     | १० | १७८१ |                                     |
| " " "                     | १० | ६४१६ |                                     |
| " " "                     | १० | १७०३ |                                     |
| " " "                     | १० | ५१६  |                                     |
| साविक पोखरा न.पा.         | १० | २३०० | टावर नं. १०८ देखि टावर नं. १०९ सम्म |
| " " "                     | १० | २३०१ |                                     |
| " " "                     | १० | २३०२ |                                     |
| " " "                     | १० | २३०३ |                                     |
| " " "                     | १० | २२९६ |                                     |
| " " "                     | १० | २२९७ |                                     |
| साविक पोखरा न.पा.         | १० | २२९८ |                                     |
| " " "                     | १० | ५८३८ |                                     |

(८)  
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

|       |    |      |  |
|-------|----|------|--|
| " " " | १० | ५८३९ |  |
| " " " | १० | ४७४  |  |
| " " " | १० | ५२२  |  |
| " " " | १० | २३०४ |  |

## सूचना २

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्न्तगत मोदी खोला जल विद्युत आयोजनाबाट पर्वत जिल्ला र कास्की जिल्ला भित्र निर्माण गरिने मोदी - पोखरा १३२ के.भी प्रसारण लाईनको रेखांकन मुनी दायौ बायाँ ९।९ (नौ । नौ ) मिटर भित्र परेका घर जग्गाहरुको सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न विद्युत नियमावली २०५० को नियम ८८ अनुसार गठित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिमा श्री ५ को सरकारले देहाय बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यहरु तोकेको छ ।

- |                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| (क) सम्बन्धित जिल्लाका (पर्वत र कास्की) प्रमुख जिल्ला अधिकारी | - अध्यक्ष |
| (ख) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सम्बन्धित आयोजनाका आयोजना प्रमुख | - सदस्य   |
| (ग) विद्युत विकास विभागका सि.डि.ई. श्री राधा कृष्ण शिल्पकार   | - सदस्य   |

आज्ञाले

विश्वनाथ सापकोटा  
श्री ५ को सरकारको सचिव

0/0